कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी की भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक /भर्ती/2017 रायगढ़ दिनांक

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04.12.2017 संध्या 05.00 बजे तक।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ स्थापना में आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी स्वीपर/वाटरमेन/चौकीदार के कुल 12 पदों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा निर्धारित दैनिक वेतन पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :—

पदों की संख्या, योग्यता एवं अन्य शर्तें निम्नानुसार है :—

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	स्वीपर	04
2	वाटरमैन	06
3	चौकीदार	02
	कुल योग	**12**

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा—5 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य एवं सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हों तो विशेष योग्यता जैसे ड्राईवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एवं कम्प्यूटर इत्यादि प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

नोट :—अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिये।

अन्य शर्तें :—

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल नागरिक होना चाहिए।
2. दिनांक 01.01.2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला एवं निशक्तजनों को राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :—
   1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष
   2. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष

3. निःशक्तजनों हेतु 10 वर्ष

4. स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जावेगा।

5. आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारुप के अनुसार जाति के संबंध में में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

6. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वास्थ्य स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

7. एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे। चयन/नियुक्ति पश्चात् अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

9. अभ्यर्थी किसी शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

10. टंकित अथवा हस्तलिखित पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रारुप अनुसार हस्ताक्षरित कर स्वप्रमाणित समस्त शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज (यथा –जन्म /आयु प्रमाण पत्र, कक्षा–5 वीं प्रमाण पत्र), जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रुप से आवेदित पद**"आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र"–स्वीपर/वाटरमैन/चौकीदार** लिखा हो, **जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)** के नाम से रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं अथवा स्वयं उपस्थित होकर **दिनांक 04.12.2017** की संध्या **05.00 बजे** तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। **अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।** निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. विज्ञापन में निर्धारित प्रारुप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंग। प्रारुप से भिन्न आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं। बिना हस्ताक्षर के

प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक किस पद हेतु आवेदन कर रहा है, उसका आवेदन पत्र में उल्लेख स्पष्ट रुप से किया जाना अनिवार्य है।

12. प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकि एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय आवेदक की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकि अथवा व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रकिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय निरस्त/समाप्त की जा सकेगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

13. चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों को छंटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा।

14. नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा सम्पन्न की जावेगी। इस कमेटी को चयन प्रकिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

15. अभ्यर्थियों की संख्या, चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रायोजन से उनके कक्षा 5 वीं में प्राप्तांक के % (प्रतिशत) के आधार पर रिक्त पदो के वर्गवार दस गुना के सीमा के लगभग आवेदकों की छंटनी की जा सकेगी। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास एल.एम.व्ही. का वैध ड्राईविंग लायसेंस हो/इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर/कारपेंटर/टायपिंग/कम्प्यूटर का डिप्लोमा आई.टी.आई से हो, उन्हें इस संबंध में छूट दी जा सकेगी। शेष सभी कक्षा 5 वीं स्तर पर कम प्राप्तांक के आवेदकों को चयन प्रकिया में सामिल होने से अनर्ह घोषित किया जा सकेगा।

16. आवेदनों की छंटाई पश्चात् पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय की वेबसाईट http://www.ecourts.gov.in/raigarh पर अपलोड किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा पात्रता/अपात्रता के संबद्ध में आपत्ति की जा सकेगी। तत्पश्चात् अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय की वेबसाईट में घोषित की जा सकेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि एवं परीक्षा तिथि जिला न्यायालय, रायगढ़ की वेबसाईट http://www.ecourts.gov.in/raigarh पर अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

17. आवेदनों की छंटाई के पश्चात् प्राप्त एवं अर्ह आवेदकों को रोल नम्बर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची आवश्यक जॉच एवं परीक्षण की तिथि, समय व स्थान की जानकारी इस कार्यालय की वेबसाईट http://www.ecourts.gov.in/raigarh पर अपलोड किया जावेगा।

18. आवश्यक जॉच एवं परीक्षण में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पृथक से प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र नहीं भेजा जावेगा, न ही इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य होगा। आवेदक को प्रवेश पत्र जिला न्यायालय की वेबासाईट से डाउनलोड कर आवश्यक जॉच एवं परीक्षण हेतु उपस्थित होना होगा। आवश्यक जॉच एवं परीक्षण के लिये अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में स्वयं का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर अपना रोल नंबर अंकित कर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर पहचान पत्र (ड्राईविंग लायसेंस/वोटर आई डी. कार्ड/आधार कार्ड/पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड) एवं शैक्षणिक योग्यता व विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में आवश्यक जॉच एवं परीक्षण एक से अधिक दिनों में लिया जा सकेगा।

19. आवश्यक जॉच एवं परीक्षण में सम्मिलित होने के लिये अवसर उपलबध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

20. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा उनकी सेवायें आवश्यकता न होने पर कभी भी बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।

21. प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रूटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रूटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

22. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं आवश्यक जॉच एवं परीक्षण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार चयन समिति सुरक्षित रखती है।

(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी (स्वीपर/वाटरमैन/चौकीदार) के पद हेतु आवेदन का प्रारुप

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़ (छ.ग.)

स्वप्रमाणित वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ्स

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
   (श्री/श्रीमती/कु.)
   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : ....
3. पिता/पति का पूरा नाम : ....
4. (अ) जन्मतिथि (अंकों में) [| | | | | | |]

   (शब्दों में) : ....
5. आयु दिनांक 01/01/2018 को :– .... वर्ष .... माह .... दिन
6. लिंग (महिला/पुरुष) : ....
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हाँ/नहीं [ ]
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
8. शैक्षणिक योग्यता (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	कक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	वर्ष	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

9. यदि अनुभव कोई हो तो : ....
   (स्वीपर/वाटरमैन/चौकीदार का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
10. विशेष योग्यता यदि हो तो : ....
    (प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
11. वर्ग (जो लागू हो)

अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित

(स्वप्रमाणित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

12. यदि निःशक्त हों तो – निशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत : ....
(स्वप्रमाणित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

13. क्या आप विवाहित हैं ? हॉं/नहीं

14. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि

15. जीवित बच्चों की संख्या

क्र.	नम	लिंग	जन्मतिथि
1	2	3	4

16. क्या आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया है। अथवा लंबित है,
हॉं/नहीं ....(यदि हॉं तो स्पष्ट विवरण दें)"

17. क्या आवेदक को किसी न्यायालय/शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है,
हॉं/नहीं ....(यदि हॉं तो स्पष्ट विवरण दें)"

18. क्या आवेदक को किसी उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन/ आयोग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रुप से अथवा स्थायी रुप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह किया गया है,
हॉं/नहीं ....(यदि हॉं तो स्पष्ट विवरण दें)"

19. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता : ....
....
....

20. स्थायी पता : ....
....
....

21. संलग्नकों की सूची :–
1. .... 2. ....
3. .... 4. ....

//घोषणा–पत्र//

मैं एतद् द्वारा यह घोषण करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी मेरी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैने अपनी शैक्षणिक/तकनीकि/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही–सही पूर्ण विवरण दिया है। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति चयन प्रकिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त किए जाने योग्य होगी।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता
मोबाईल नं.
ई मेल –